प्रेस नोट

ट्रैफिक नियम के तहत दीव में दोपहिया वाहन चालक एव पीछे बैठनेवाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

दीव, 23 मार्च 2018.

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के नियम 129 के तहत उप समाहर्ता/ उप परिवहन निदेशक, दीव के निर्देश पर दीव जिला में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग, दीव द्वारा समय-समय पर प्रेस और पत्र के माध्यम से आमजनता को सूचनायें भी दी जाती रही है। दीव में दोपहिया वाहन चालक और उसके पीछे बैठनेवाले सवारी को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। वाहन चलाने के दौरान चालक और पीछे बैठनेवाले सवारी द्वारा हेलमेट नहीं पहनना सरासर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन है।

हेलमेट लगायें क्योंकि दुर्घटना कही भी और कभी भी हो सकती है। आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहें हैं या किसी काम से बाहर जा रहें है तब भी आप बच्चों और खुद को हेलमेट लगाएं | वाहन चलाते हुए दुर्घटना की चपेट मे आनेवाले सैकड़ो युवा और युवतियाॅ हर साल सिर की गंभीर चोटों से जान से हाथ धो बैठते हैं। हम हेलमेट केवल थोड़ी सी आलस की वजह से नहीं लगाते हैं जबकि हम जानते है कि इससे हमें घातक नुकसान हो सकता है और कभी - कभी जान भी जा सकती है | हेलमेट से जान बचने की संभावना अधिक रहती है | सिर की चोट ऐसी हैं कि इसमें हमारी जान जल्दी जा सकती है इसलिए इसे बचाना ज्यादा जरूरी हैं | दोपहिया वाहन में पीछे बैठने वाले अक्सर हेलमेट नहीं लगाते लेकिन शोध से पता चला है कि हादसा होने पर चालक से अधिक पीछे बैठने वाले का ख़तरा होता हैं | इसलिए सभी बैठने वालों को हेलमेट लगाना चाहिए।

नियमों के तहत प्रशासन द्वारा बिना हेलमेंट के दोपहिया वाहन चालकों को सुरक्षित रखने के लिए एक अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अभी तक 400 के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मेमों जारी किए गए हैं और इनके घर के पत्ते पर मेंमो भेजा गया है। इसमें से 59 ने परिवहन विभाग, दीव में फाईन भरा है। बहुतों ने अभी तक परिवाहन विभाग में फाईन नहीं भरा है।

अत: उन चालकों को यह सूचित किया जाता है कि यदि वे मेंमो प्राप्ति के सात दिनों के अंदर परिवहन विभाग, दीव में फाइन नहीं भरते हैं, तो यह मेमों दीव कोर्ट में भेज दिया जायेगा और आगे की कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से ही होगी । चालकों को कोर्ट में ही फाईन भरना होगा और इसमें उन्हें समय और पैसे की भी बर्बादी होगी ।

अत: सभी से अपील की जाती है कि मेमों प्राप्ति के सात दिनों के अंदर निर्धारित फाईन इस विभाग में जमा कर दें।

DIU POLICE